(1)

न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या –39/2024

मोहम्मद युसूफ, पुत्र स्व0 मोहम्मद बनाम अली कायमखानी निवासी कोठी रोड़, शाहपुरा, तहसील व जिला–शाहपुरा।

1. रामलाल पिता रामनाथ कुमावत मृतक के बजाय विधिक वारिसान–
1/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 रामलाल कुमावत
1/2 प्रभाती देवी पुत्री स्व0 रामलाल कुमावत
1/3 महावीर पुत्र स्व0 रामलाल कुमावत
1/4 रेणु पुत्री स्व0 रामलाल कुमावत
1/5 शम्भु पुत्र स्व0 रामलाल कुमावत
समस्त निवासियान दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला शाहपुरा।
3. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक, शाहपुरा जिला शाहपुरा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक, ढ़ीकोला, तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा।

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –
1. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री अक्षयराज रेबारी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक २१ .11.2024

1 प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील शाहपुरा में मिसल नम्बर 605/89 द्वारा दिनांक 11.07.1990 को आराजी नम्बर 502 में से 5 बीघा भूमि विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के पिता स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत के नाम पर आवंटित हुई थी। सेटलमेन्ट के पश्चात साबिक आराजियात नं. 502 बड़ा रकबा होने की वजह से भूप्रबन्ध के दौरान उसके अनेक नये रकबे बनाये गये। साबिक आराजी नं. 502 के सेटलमेन्ट के दौरान मिलान खसरा अनुसार बनाए गये रकबे खसरा सं. 694, रकबा 0.80 है० एवं खसरा सं. 695, रकबा 1.34 है० कायम किये गये। खसरा सं. 694 के राजस्व रेकार्ड अनुसार टुकड़े कर नये नम्बर 2371/694 व 2372/694 एवं खसरा सं. 695 के राजस्व रेकार्ड अनुसार टुकडे कर

जिला कलक्टर
शाहपुरा

2373/695 व 2374/695 कायम किये गये है। उपरोक्त रकबो में से 2371/694 व 2373/695 गलत खातेदारी होने से रेकार्ड में विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के नाम पर दर्ज है एवं शेष रकबे 2372/694 व 2374/695 बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। खसरा सं. साबिक 502 एवं 502/2 सटवा व एक ही रकबा थे, साबिक आराजी नं. 502/2 के सेटेलमेन्ट के दौरान भी अनेक नये रकबे बनाए गये। साबिक आराजी सं. 502/2 के बडे रकबे में से एक रकबा 696, रकबा 0.77 है० कायम किये गये। साबिक आराजी सं. 502 एवं 502/2 पर श्रीराम पुत्र रामनाथ कुमावत निवासी दौलतपुरा का कब्जाकाश्त थे, जिसमें से 03 बीघा कृषि भूमि का खातेदारी अधिकार श्रीराम पिता रामनाथ कुमावत को प्राप्त हुए। जिसकी ताईद जमाबंदी संवत् 2042–2045 से होती है। शेष साबिक आराजी सं. 502, बिलानाम काबिल काश्त के रूप में दर्ज रेकार्ड ही रही, जिसकी ताईद जमाबंदी संवत् 2064–2067 से होती है। चूंकि साबिक आराजी सं. 502 के मिलान खसरा अनुसार बने नये नम्बर खसरा सं. 694 रकबा 0.80 है० एवं खसरा सं. 605 रकबा 1.34 है० एवं खसरा नं. 502/2 के मिलान खसरा अनुसार बने नये नम्बर खसरा सं. 696, रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता–03, कुल रकबा 2.91 है० बनते है। जिनका कनर्वट रकबा बीघा अनुसार 11 बीघा 10 बिस्वा ही बनता है। मौके पर श्रीराम पुत्र रामनाथ कुमावत का ही कब्जा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अबाधित रूप से था। उस पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त श्रीराम पुत्र रामनाथ कुमावत, निवासी–दौलतपुरा का था, जो कि कालान्तर में उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात विरासत से खाता श्रीराम के बजाय लाली पुत्री श्रीराम एवं भूला, पत्नी श्रीराम के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद जमाबंदी संवत् 2060–2063 से होती है। लाली पुत्री श्रीराम एवं भूला पत्नी श्रीराम कुमावत ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रार्थी के पक्ष में खसरा सं. 696, रकबा 0.77 हैक्टेयर का निष्पादित कराया और उनका पुराना कब्जा काश्त जो कि श्रीराम कुमावत के समय से ही चला आ रहा था, सम्पूर्ण कब्जा काश्त 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जाकाश्त मौके पर भौतिक रूप से प्रार्थी को दिनांक 26.04.2011 को सुपुर्द कर दिया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति एवं जमाबंदी संवत 2064–2067 संलग्न होकर पेश है। विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पिता स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत का उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बर 502 में से 5 बीघा भूमि पर भौतिक रूप से मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। फिर भी आवंटन की शर्तों की अवहेलना करते हुए एवं सरकारी कर्मचारी के पद पर होते हुए, पद का दुरूपयोग करते हुए गलत आवंटन करवा लिया। स्वर्गीय रामलाल कुमावत ने राजस्व रेकार्ड के खिलाफ जाकर एवं न्यायालय को मुगालते में रखकर मिथ्या तथ्यों द्वारा दो गलत निर्णय प्रकरण सं. 04/2024 अपील माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, शाहपुरा निर्णय दिनांक 13.02.2024 एवं प्रकरण सं. 12/2002 अपील माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, निर्णय दिनांक 28.07.2003 पारित करवा लिये। वर्तमान में मौके पर उक्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड अनुसार भी विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के पिता स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत को आवंटन मिसल सं. 605/89 दिनांक 11.07.1990 से आवंटित भूमि निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन 1970 प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगणों के विरुद्ध स्वीकार करनाया जाकर ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा के हाल खसरा सं. जो कि वर्तमान में विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के नाम पर दर्ज रेकार्ड खसरा सं. 2371/694, 2373/695, रकबा क्रमशः 0.50 है एवं 0.75 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है० की खातेदारी निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराते हुए उक्त दोनों खसरों को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश प्रदान करायें।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

(९)

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण 1/1 लगायत 1/5 की ओर से अधिकार पत्र पेश किया जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का क्षेत्र दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में मिसल संख्या 605/89 से आवंटन दिनांक 11.07.1990 को साबिक आराजी संख्या 502 में से 5 बीघा भूमि जवाबदाता के पिता पक्ष में आवटंन होने का कथन सत्य होकर स्वीकार है। भूप्रबन्ध कार्यवाही में हाल खसरा संख्या 694 रकबा 0.80 हैक्टयर, खसरा संख्या 695 रकबा 1.25 हैक्टयर का साबिक खसरा संख्या 502 से नवीन निर्मित होने का कथन सही होकर स्वीकार है। भूप्रबन्ध कार्यवाही में साबिक खसरा संख्या 502/2 से हाल खसरा संख्या 696 का नवीन निर्मित होने का कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में बने नियम कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 07 के अन्तर्गत राजकीय बिलानाम भूमि को आवंटन या नियमन करने से पहले आवंटी का कृषि भूमि पर सद्भाविक कृषक के रूप काबिज होना आवश्यक है। भू–आवंटन नियमों के अधीन ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षीगण के पिता को सद्भाविक कृषक मानते हुए साबिक खसरा संख्या 502 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। वादग्रस्त साबिक खसरा संख्या 502 पर श्रीराम कुमावत कभी काबिज होने का कथन झूटा होकर काल्पनिक है, यदि श्रीराम कुमावत कृषि भूमि पर कभी काबिज रहा होता तो आवंटन सलाहकार समिति विपक्षीगण के पिता के पक्ष में भूमि का नियमन नही करती। आवंटी द्वारा भू–आवंटन संबंधि समस्त शर्तो का पालन किया है। आवंटी के पास इस आवंटनशुदा भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई कृषि भूमि न तो पूर्व में कभी थी और ना ही वर्तमान में है। प्रार्थी शहरी क्षेत्र शाहपुरा का निवासी होकर सद्भाविक कृषक नहीं है। प्रार्थी द्वारा साबिक आराजी संख्या 502/2 के तात्कालीन खातेदार श्रीराम कुमावत के विधिक उत्तराधिकारीगण से कृषि भूमि को खरीद किया हुआ है। तात्कालीन खातेदार श्रीराम कुमावत को उतनी ही भूमि के बेचान करने के अधिकार प्राप्त था जितनी उनकी खातेदारी में अभिलिखित थी। मालिकाना हक/अधिकार सीमा से परे जाकर बेचान के आधार कब्जा किसी अन्य को संभलाया जाना बुनियादी स्तर काल्पनिक तथ्य है, जिसका कोई आधार नहीं है। विपक्षीगण के पिता/आवंटी तत्समय में भूमिहीन किसान रहे एवं उसी आधार पर कृषि प्रयोजन हेतु भू–आवंटन कमेटी द्वारा आवंटी को सद्भाविक कृषक मानते हुए यह आवंटन किया है। न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा में पंजीबद्ध अपील प्रकरण संख्या 04/2024 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 में भी इस तथ्य की ताईद की है और आवंटन को सही एवं नियमांतर्गत माना है। उक्त निर्णय के अनुसार तहसीलदार शाहपुरा द्वारा आवंटी का मौके पर काबिज काश्त होना माना है और कमेटी द्वारा लिए निर्णय को सही ठहराया है। प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अनाधिकृत विस्तार करने की नियत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। साबिक आराजी संख्या 502 में से 5 बीघा भूमि पर शुरुआत से ही काबिज काश्त रहा है कब्जाकाश्त एवं राजस्व अभिलखों के जांच परीक्षण पश्चात ही भू–आवंटन कमेटी द्वारा आवंटी के पक्ष में भूमि का नियमन आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए निर्णय अनुसार एवं नियमन/आवंटन करने की अनुशंषा के आधार पर ही हाल खसरा संख्या 694 रकबा 0.80 एवं खसरा संख्या 695 रकबा 1.25 हेक्टयर भूमि पर विपक्षीगण के पिता खातेदारी हक रखते थे एवं उनके देहान्त पश्चात जवाबदारान। नियमन /आवंटन करने से पहले आवंटन सलाहकार समिति पंचायत समिति शाहपुरा ने भी नियमन करने की अनुशंषा की है, नियमन की अनुशंषा के आधार पर ही भू–आवंटन सलाहकार समिति की अभिशंषा की जाती है। इस पर भी संशय किया जाना

जिला कलक्टर
शाहपुरा

(10)

विश्वसनीयता से परे है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये तर्क दलीलें बुनियादी तौर पर झूठी एवं काल्पनिक/भ्रामक है। जो कई स्वीकार होने योग्य नही है। सादर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1/1 से लगायत 1/5 की ओर प्रस्तुत जवाब को मंजूर फरमाते हुए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज सादर फरमाया जावे।

3. प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील शाहपुरा में मिसाल नम्बर 605/89 द्वारा दिनांक 11.07.1990 को आराजी नम्बर 502 में से 5 बीघा भूमि विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के पिता स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत के नाम पर आवंटित हुई थी। सेटलमेन्ट के पश्चात साबिक आराजियात नं. 502 बड़ा रकबा होने की वजह से भूप्रबन्ध के दौरान उसके अनेक नये रकबे बनाये गये। साबिक आराजी नं. 502 के सेटलमेन्ट के दौरान मिलान खसरा अनुसार बनाए गये रकबे खसरा सं. 694, रकबा 0.80 है० एवं खसारा सं. 695, रकबा 1.34 है० कायम किये गये। खसरा सं. 694 के राजस्व रेकार्ड अनुसार टुकड़े कर नये नम्बर 2371/694 व 2372/694 एवं खसरा सं. 695 के राजस्व रेकार्ड अनुसार टुकडे कर 2373/695 व 2374/695 कायम किये गये है। उपरोक्त रकबो में से 2371/694 व 2373/695 गलत खातेदारी होने से रेकार्ड में विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के नाम पर दर्ज है एवं शेष रकबे 2372/694 व 2374/695 बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के पिता स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत का उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बर 502 में से 5 बीघा भूमि पर भौतिक रूप से मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। फिर भी आवंटन की शर्तों की अवहेलना करते हुए एवं सरकारी कर्मचारी के पद पर होते हुए, पद का दुरूपयोग करते हुए गलत आवंटन करवा लिया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन 1970 प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगणों के विरुद्ध स्वीकार करनाया जाकर ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा के हाल खसरा सं. जो कि वर्तमान में विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के नाम पर दर्ज रेकार्ड खसरा सं. 2371/694, 2373/695, रकबा क्रमशः 0.50 है एवं 0.75 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है० की खातेदारी निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराते हुए उक्त दोनों खसरों को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि भू–आवंटन नियमों के अधीन ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षीगण के पिता को सद्भाविक कृषक मानते हुए साबिक खसरा संख्या 502 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। विपक्षीगण के पिता/आवंटी तत्समय में भूमिहीन किसान रहे एवं उसी आधार पर कृषि प्रयोजन हेतु भू–आवंटन कमेटी द्वारा आवंटी को सद्भाविक कृषक आनते हुए यह आवंटन किया है। आवंटन के समय विपक्षीगण के पिता राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं थे। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए निर्णय अनुसार एवं नियमन/आवंटन करने की अनुशंपा के आधार पर ही हाल खसरा संख्या 694 रकबा 0.80 एवं खसरा संख्या 695 रकवा 1.25 हेक्टयर भूमि पर विपक्षीगण के पिता खातेदारी हक रखते थे एवं उनके देहान्त पश्चात विपक्षी संख्या 1/1 लगायत 1/5। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन 1970 अस्वीकार फरमाया जाकर ग्राम दौलतपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा

(11)

पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा के हाल खसरा सं. जो कि वर्तमान में विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के नाम पर दर्ज रेकार्ड खसरा सं. 2371/694, 2373/695, रकबा क्रमशः 0.50 है एवं 0.75 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है० की खातेदारी यथावत रखने के आदेश प्रदान करायें।

5. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरांत पाया गया कि ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील शाहपुरा में मिसल नम्बर 605/89 द्वारा दिनांक 11.07.1990 को आराजी नम्बर 502 में से 5 बीघा भूमि विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के पिता स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत के नाम पर आवंटित हुई थी। उक्त कृषि आराजियात के हाल खसरा सं. 2371/694, 2373/695, रकबा क्रमशः 0.50 है एवं 0.75 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है० आवंटी स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ की मृत्यु के पश्चात उसके वर्तमान में उनके कायम मुकाम वारिसान विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। कार्यालय कोषाधिकारी, शाहपुरा के पत्र क्रमांक/स्थापना/2024/386 दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत का चतुर्थ श्रेणी कमचारी के पद से सेवानिवृत्त होना जाहिर हुआ है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार स्वर्गीय रामलाल कुमावत की राजकीय सेवा में कार्य ग्रहण दिनांक 30.12.1978 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2013 थी। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटन के समय स्वर्गीय रामलाल पुत्र रामनाथ कुमावत राजकीय कर्मचारी थे। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत किसी भी राजकीय कर्मचारी को भूमि आवंटित करने का प्रावधान नहीं है। विवेचन अनुसार विपक्षीगण द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं किया जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतः

आदेश

6. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार किया जाकर कर ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा के हाल खसरा सं. 2371/694, 2373/695, रकबा क्रमशः 0.50 है एवं 0.75 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है० जो कि वर्तमान में विपक्षी सं. 1/1 लगायत 1/5 के नाम पर दर्ज रेकार्ड खसरा सं. 2371/694, 2373/695, रकबा क्रमशः 0.50 है एवं 0.75 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 है० की खातेदारी निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराते हुए उक्त दोनों खसरों को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

(12)

7. निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा